उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य योजना आयोग–2

संख्या–9/7/35–आ–2/99–55

लखनऊ 07 जनवरी, 2008

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम–1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–32 सन् 1999) की धारा–19 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008

अध्याय–एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली, 2008 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगी।

परिभाषायें

2–(1) इस नियमावली में जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 से है;

(ख) 'सदस्यों' का तात्पर्य समिति के सदस्यों से है;

(ग) 'अन्य पिछड़े वर्गो के नागरिकों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो) अधिनियम, 1994 के अधीन अनुसूची–1 में उल्लिखित पिछड़े वर्ग के नागरिकों से है;

(घ) 'अनुसूची' का तात्पर्य नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(च) 'सचिव' का तात्पर्य अधिनियम की धारा–7 में अधिनिश्चित सचिव से है;

(2) शब्द एवं पद जिन्हें इस नियमावली में परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम में परिभाषित है, का तात्पर्य अधिनियम में परिभाषित तात्पर्य से है।

3–(1) जिले के लिए समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी जितनी जिले के लिए अनुसूची में विहित की गयी है।

(2) राज्य सरकार अनुसूची को विज्ञप्ति के माध्यम से संशोधित कर सकती है।

सदस्यों की संख्या

(3) उप नियम (1) के अधीन निर्धारित सदस्यों की संख्या के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग गजट में अधिसूचना द्वारा जिले के अन्तर्गत जिला पंचायत के निर्वाचित

सदस्यों में से तथा जिले की नगरपालिकाओं में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच में अनुपात के समानुपात में पृथक–पृथक निर्धारण किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह होगा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए सदस्यों की संख्या का निर्धारण पूर्णांक में किया जायेगा, यदि दशमलव के आगे पॉच अथवा उससे अधिक का अंक आता है तो उसे अग्रगामी पूर्णांक के रूप में और दशमलव के आगे पॉच से कम अंको को पश्चगामी पूर्णांक में आंकलित किया जायेगा।

निर्वाचन अधिकारी

4–इस नियमावली के अन्तर्गत समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये जिला मजिस्ट्रेट उस जिले की समिति के लिये निर्वाचन अधिकारी होगा।

सहायक निर्वाचन अधिकारी

5–(1) निर्वाचन अधिकारी इस नियमावली के अधीन कृत्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिये एक या अधिक समूह –क अथवा समूह–ख के अधिकारी को सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है।

(2) प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी के सभी अथवा कुछ कृत्यों के निष्पादन के लिए अधिकृत होगा।

(3) निर्वाचन के सम्पादन हेतु निर्वाचन अधिकारी जिले में तैनात राज्य सरकार के कर्मियों से यथावश्यक सहयोग ले सकता है।

(4) राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए निर्वाचनों के संचालन से संबधित सभी कृत्यों एवं कर्तव्यों को निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी सम्पादित करेंगे।

(5) इस नियमावली और अधिनियम की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य निर्वाचन आयोग यदि ऐसा करना आवश्यक समझे, आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि इस नियमावली के अधीन ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य जो उनके द्वारा जो सामान्य अनुदेशों में निर्दिष्ट किये जायें, आदेश में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे निर्बन्धनों और शर्तो के अधीन रहते हुए निर्वाचन स्थल पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा किये जायेंगे या निर्वहन किये जायेंगे।

आरक्षण

6–(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के तथा महिलाओं के जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से, समिति के सदस्यों की संख्या के आधार पर, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण जिला पंचायत और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन वर्गो के विद्यमान प्रतिशत के आधार पर निर्वाचन हेतु निर्धारित किया जायेगा।

(2) जहां जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या के बराबर अथवा अधिक है, वहां कम से कम एक सदस्य जिले की प्रत्येक नगर पालिका से निर्वाचित होगा :

प्रतिबन्ध यह होगा कि जहां जिले की नगर पालिकाओं से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या नगर पालिकाओं की संख्या से कम है, वहां जिले की किसी नगर पालिका से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होगा।

अध्याय–दो

सदस्यों का निर्वाचन

नाम निर्देशन आदि के लिए दिनांको का निश्चित किया जाना

7–अधिनियम के अधीन जब कभी सदस्य के लिए निर्वाचन कराना अपेक्षित हो, तो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना द्वारा निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें करेगाः–

(क) मतदान अधिकारी को नाम–निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच करने के लिए दिनांक जो अधिसूचना के दिनांक जो अधिसूचना के दिनांक से कम से कम दस दिन पश्चात का दिनांक होगा ;

(ख) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने का दिनांक और समय जो नाम निर्देशन–पत्र प्रस्तुत करने और उसकी जांच के लिए नियत दिनांक के बाद का सामान्यत : तीन दिन के बाद का दिनांक होगा ; और

(ग) वह दिनांक जब और वे घन्टे जिनके दौरान मतदान यदि आवश्यक हो, कराया जायेगा। यह दिनांक खण्ड (ख) में नियत दिनांक के बाद सामान्यत तीन दिन के बाद का दिनांक होगा।

जिला पंचायत एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की सूची

8–(1) नियम–7 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पूर्व, मतदान अधिकारी ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा और जिला पंचातय और नगर पालिकाओं के तत्समय सदस्य हों जिन्हें मतदाता कहा जायेगा, उस सूची की एक प्रमाणित प्रति अपने कार्यालय तथा अन्य सहजदृश्य स्थानों पर जिन्हें वह उचित समझे, चिपकवाकर उसकी सार्वजनिक देगा।

(2) मतदान अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी समय सूची में ऐसी शुद्धियॉं कर सकता है जो सदस्यता में कोई परिवर्तन होने या सूची में कोई त्रुटि मालुम होने के कारण आवश्यक हो जायें, वह किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा किसी दावा या आपत्ति पर विचार करने पर मालुम हुई या अन्य किसी प्रकार से ज्ञात हुई हों।

प्रतिबन्ध यह है कि सूची में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति का नाम उसमें से तब तक न निकाला जायेगा जब तक कि नाम निकाले जाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना उस

व्यक्ति को न दे दी गयी हो और उसे नाम निकाले जाने के प्रस्ताव के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

नामांकन

9–(1) कोई व्यक्ति जो जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं का सदस्य हो, जो सदस्य के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनना चाहता है, वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नामांकन–प्रपत्र पर नामांकन दाखिल करने हेतु निर्धारित दिनांक को 11:00 बजे पूर्वान्ह और 4:00 बजे अपरान्ह के बीच मतदान अधिकारी को स्वयं उपस्थित होगा।

(2) प्रत्याशी नामांकन –पत्र पर नामांकन के लिए सहमति देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर करेगा।

(3) जहाँ जिला पंचायत अथवा जिले की की नगर पालिका का कोई निर्वाचित सदस्य नियम–6 के अधीन आरक्षित स्थान से निर्वाचन लड़ना चाहता है, तो वह नामांकन–पत्र के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र जो जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा नगर पालिकाओं के मुख्य नगर अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र नामांकन–पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा।

नामांकन–पत्र प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया

10–मतदान अधिकारी नियम–9 के अधीन नामांकन–पत्र प्राप्त होने पर, उस पर उसकी क्रम संख्या दर्ज करेगा और यह भी लिखेगा कि उसे नामांकन–पत्र किस दिनांक को और कतने बजे दिया गया, उसके पश्चात् यथाशक्यशीघ्र नाम निर्देशन की ऐसी सूचना अपने कार्यालय के सिसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा, जिसमें उम्मीदवारों का वैसा ही विवरण का उल्लेख होगा जैसा कि नामांकन–पत्र में दिया गया है।

नामांकन की जांच

11–(1) नामांकन पत्रों की जांच के समय उम्मीदवार उपस्थित हो सकते हैं। मतदान अधिकारी उन्हें यथाविधि प्राप्त हुए नामांकन–पत्रों का परीक्षण करने के लिए सभी युक्ति संगत सुविधा प्रदान करेगा।

(2) मतदान अधिकारी नामांकन–पत्रों की जॉच करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि जो उम्मीदवार हैं वह जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिका, जैसी भी स्थिति हों, के निर्वाचित सदस्य हैं।

(3) मतदान अधिकारी नियम–7 की उपधारा (क) के अधीन जॉच के लिए नियत दिनांक और समय पर जॉच करेगा और कार्यवाही को किसी भी प्रकार स्थगित न होने देगा, सिवाय उस दशा के जब उक्त कार्यवाही में ऐसे कारणों से रूकावट या बाधा पड़ रही हो जो उसके वश के बाहर हो।

(4) मतदान अधिकारी नामांकन पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अपना निर्णय लिखेगा और यदि नामांकन पत्र अस्वीकृत किया गया हो तो वह ऐसी अस्वीकृत के लिए अपने कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखेगा।

(5) सभी नामांकन पत्रों की जॉंच और उसको स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के विनिश्चयों के अभिलिखित हो जाने के पश्चात् मतदान अधिकारी विधिमान्य रूप से नाम–निर्दिष्ट उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा अर्थात् उन उम्मीदवारों को जिनके नामांकन विधिमान्य पाये गये है और इसे अपने सूचनापट पर चिपकायेगा।

उम्मीदवारी से नाम वापस लेना

12–(1) कोई भी उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी से लिखित स्वहस्ताक्षरित नोटिस के माध्यम से नियम–7 के उप नियम (ख) के अधीन नियत दिनांक और समय को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना नाम वापस ले सकता है।

(2) किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने उप नियम (1) के अधीन उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने का नोटिस दिया गया हो, उक्त नोटिस रद्द न करने दिया जायेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर मतदान अधिकारी उस पर उसके दिये जाने का दिनांक एवं समय और उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसके द्वारा यह दिया हो।

(4) मतदान अधिकारी उप नियम (1) के अधीन नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने और नाम वापस लेने वाली सूचना की यथार्थता तथा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान के सम्बन्ध में समाधान होने के पश्चात नाम वापस लेने की सूचना तैयार करायेगा और अपने कार्यालय के सूचनापट पर चिपकवायेगा।

(5) उपनियम (1) में वर्णित दिन और समय के पश्चात प्राप्त होने वाली वापस लेने की नोटिस पर मतदान अधिकारी ध्यान नहीं देगा, किन्तु यदि मतदान प्रारम्भ होने से पहले किसी समय नियम–13 के अधीन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में प्रविष्टि, एक को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से नाम वापस लेने की नोटिस प्राप्त हो जाये तो मतदान अधिकारी आदेश देगा कि मतदान नहीं कराया जाये और उस स्थिति में नियम–14 के अधीन कार्यवाही करेगा।

वैध नामांकन की सूची और उसका प्रकाशन

13–(1) यदि नियम–12 के उपनियम (1) के अधीन नामों की वापसी, यदि कोई हो, के पश्चात् मतदान अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों कीएक सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के सूचनापट पर चिपकवाकर उसे प्रकाशित करायेगा।

(2) निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि में हिन्दी में तैयार की जायेगी और उसमें निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम वर्णमाला क्रम में उनके पते के साथ, जैसा नामांकन पत्र में दिये गये हो, दिये जायेंगे।

निर्विरोध निर्वाचन और परिणाम की घोषणा

14—(1) यदि वैध उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर है तो मतदान अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा और ऐसी घोषणा की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकायेगा।

(2) यदि जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या चुने जाने वाले सदस्यों के बराबर अथवा कम हो तो जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को मतदान अधिकारी विधिवत सदस्य निर्वाचित घोषित करेगा।

उम्मीदवारी के लिए नाम न होना

15— यदि इस नियमावली के अधीन कोई नामांकन नहीं हुआ हो अथवा नाम निर्दिष्ट सभी व्यक्ति नियम— 12 के अधीन अपनी—अपनी उम्मीदवारी वापस ले लें तो कार्यवाहियॉं नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी, मानो वह किसी नये निर्वाचन के लिए हो।

मतदान की रीति

16— निर्वाचन में मतदान विभिन्न स्थानों पर एक साथ गुप्त मत पत्र द्वारा होगा। मत, मतदाताओं द्वारा स्वयं ही डाले जायेंगे और कोई मत प्रतिनिधिक मतदान द्वारा नहीं स्वीकार किया जायेगा।

मतदान का स्थान और समय

17— मतदान जिले के मुख्यालय में ऐसे प्रमुख स्थान पर होगा जैसा मतदान अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाये और नियम—7 के खण्ड (स) के अधीन विनिर्दिष्ट समय पर होगा।

मतपत्र और मतपेटी

18—(1) निर्वाचन में उपयोग किये जाने वाले मतपत्र राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होंगे और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम उसमें हिन्दी में उसी क्रम में दिये हुए होंगे जिस क्रम में वह नियम 13 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में हों।

(2) मतदान में उपयोग की जाने वाली मतपेटी ऐसे किसी भी प्रकार की होगी, जिसका अनुमोदन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया हो।

मतदान प्रांरभ होने के पूर्व की प्रक्रिया

19— मतदान प्रारम्भ होने के ठीक पहले मतदान अधिकारी ऐसे उम्मीदवारों को जो मतदान के स्थान पर उपस्थित हों, मतदान में प्रयोग में लायी जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

मतदान स्थल में प्रवेश

20—(1) मतदान अधिकारी निम्नलिखित व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों को मतदान स्थल से बाहर रखेगाः—

(क) उम्मीदवार; तथा

(ख) अन्य ऐसे व्यक्ति, जिन्हें मतदान अधिकारी मतदान कराने में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए समय—समय पर आने दें

प्रतिबन्ध यह है कि मतदेय स्थल पर मतदाता को मतदान करने के लिए प्रवेश करने की अनुमति होगी।

(2) मतदान अधिकारी नियम 7 के खण्ड (स) के अधीन निर्धारित समय पर मतदान स्थल को बन्द कर देगा और उसके बाद वहॉ किसी मतदाता को प्रवेश न करने देगा :

मतपत्र देने की प्रक्रिया

21—(1) मतदान अधिकारी अपने समक्ष नियम—8 के अधीन तैयार की गयी मतदाता सूची रखेगा।

(2) किसी मतदाता को मतपत्र दिये जाने के ठीक पहले उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिन्ह बना दिया जायेगा और मतदाता का नाम, जैसा उस सूची में दिया गया हो, मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज कर दिया जायेगा।

(3) मतपत्र की प्राप्ति के प्रतीक स्वरूप मतदाता द्वारा सूची में अपने नाम के सामने हस्ताक्षर किया जायेगा।

(4) किसी मतदाता को मत—पत्र दिये जाने के पूर्व मतदान अधिकारी उस मतदाता की पहचान के बारे में अपना समाधान कर लेगा और इस प्रयोजन के लिए वह ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है, जिन्हें वह ठीक समझे।

(5) यदि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में मतदान अधिकारी का समाधान न हुआ हो, तो वह उन परिस्थितियों की संक्षिप्त टिप्पणी, जिनमें मत—पत्र देने से इंकार किया गया हो, अभिलिखित करने के पश्चात उसे मतपत्र देने से इंकार कर सकता है।

(6) जैसा ही मत—पत्रों का दिया जाना समाप्त हो जाये, मतदान अधिकारी मत—पत्रों के प्रतिपर्णो को एक लिफाफे में रखेगा और उसे बन्दकरके उस पर मुहर लगायेगा। न्यायालय या एसे निर्वाचनों से सम्बन्धित किसी विवाद का निर्णय करने वाले अन्य प्राधिकारी के आदेश के सिवाय लिफाफा नहीं खोला जायेगा।

कुछ परिस्थितियों मत—पत्र का दिया जाना

22—(1) यदि किसी मतदाता ने असावधानी के कारण अपने मत—पत्र को इस में नये प्रकार प्रयुक्त किया हो कि वह मत—पत्र के रूप में सुविधा पूर्वक प्रयुक्त न हो सके तो वह उसे मतदान अधिकारी को दने पर और असावधानी के बारे में उसका समाधान कर दने पर इस प्रकार वापस किये गये मत—पत्र के स्थान पर दूसरा मत—पत्र प्राप्त कर सकेगा और वापस किये गये मत—पत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर मतदान अधिकारी द्वारा "वापस किया गया और रद्द किया गया " लिख दिया जायेगा।

(2) इस प्रकार रद्द किया गया मतपत्र उस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखा जायेगा।

मतदाताओं द्वारा अप्रयुक्त मतपत्रों की वापसी

23— यदि कोई मतदाता अपना मत अंकित करने के प्रयोजन से मतपत्र प्राप्त करने करने के पश्चात उसका प्रयोग न करने का निश्चय करे तो वह उस मतपत्र को मतदान अधिकारी को वापस कर देगा जो उस पर "वापस किया गया तथा रद्द किया गया" अंकित कर देगा और उसे नियम 22 के उप नियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए पृथक रखे गये लिफाफे में रखेगा।

मतदान केन्द्र के भीतर मतदाताओं द्वारा मतदान की गोपनीयता को बनाये रखना एवं मतदान प्रक्रिया

24—(1) प्रत्येक मतदाता जिसे इन नियमों के अधीन मतपत्र जारी किया गया हो, मतदान केन्द्र के भीतर मतदान की गोपनयीता को बनाये रखेगा और इस प्रयोजन के लिए उसमें आगे दी गयी मतदान प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) प्रत्येक मतदाता के पास उतने मत होंगे जितने निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या हो, किन्तु कोई भी मतपत्र केवल इस कारण से अवैध नहीं माना जायेगा कि मतदाता द्वारा ऐसे सभी मत चिन्हित नहीं किये गये है।

(3) मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् मतदाता—

(क) मतदान स्थल पर बने और बाहर से न दिखने वाले मतदान कक्ष में जायेगा;

(ख) अपने मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम के सामने दिये गये स्थान पर जिन्हें वह चुनना चाहता है चिन्ह लगायेगा ;

(ग) अपने मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ लेगा;

(घ) मुड़े हुए मतपत्र को इस प्रयोजन के लिए मतपेटी में डालेगा;

(ङ) तत्पश्चात मतदान स्थल को छोड़ देगा।

(4) प्रत्येक मतदाता अनावश्यक विलम्ब किये बिना मतदान करेगा।

(5) किसी मतदाता के मतदान कक्ष के भीतर मौजूद रहने की स्थिति में किसी अन्य मतदाता को उसके अन्दर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(6) किसी मतदाता के द्वारा अनुरोध किये जाने पर मतदान अधिकारी मत अंकित करने के लिए मतपत्र में दिये गये अनुदेशों को उसे समझायेगा।

(7) यदि कोई मतदाता निरक्षरता अथवा शारीरिक असक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो तो मतदान अधिकारी, मतदाता द्वारा अनुरोध करने पर मतदाता के निर्देशानुसार मत अंकित करेगा। तत्पश्चात मतदाता स्वयं अथवा मतदान अधिकारी की सहायता से मुड़े हुए मत—पत्र को मतपेटी में डालेगा।

(8) यदि कोई ऐसा मतदाता जिसे मतपत्र जारी किया गया हो, मतदान अधिकारी द्वारा चेतावनी दिये जाने के पश्चात ऊपर दी गयी प्रक्रिया का अनुपालन करने से इंकार करता है, तो उसे जारी किये गया मतपत्र चाहे उसने उस पर अपना मत

अभिलिखित किया हो या नहीं, मतदान अधिकारी द्वारा उससे वापस ले लिया जायेगा।

(9) मतपत्र वापस लिये जाने के पश्चात मतदान अधिकारी उसके पीछे शब्द "रद्द किया गया; मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित कर देगा और उन शब्दों के नीचे अपना हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा।

(10) ऐसे सभी मत–पत्रों को जिन पर शब्द "रद्द किया गया; मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन" अभिलिखित किया गया हो, एक पृथक आवरण, जिसके ऊपर शब्द "मतपत्र; मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन " लिखा होगा, में रख दिया जायेगा।

(11) ऐसा मत, यदि कोई हो, जिस पर उपरोक्त संदर्भित उपनियम (9) में निर्दिष्ट मतपत्र पर दिये गये मत, यदि कोई हो, की गणना नहीं की जायेगी।

मतगणना के समय प्रक्रिया

25–(1) मतदान समाप्त होते ही मतदान अधिकारी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और उन मतदाताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतों की गणना प्रारम्भ करेगा।

(2) मतदान अधिकारी मतपेटी खोलेगा और–

(क) उसमें से निकाले गये मतपत्रों को गिनेगा और उनकी संख्या एक विवरण पत्र मे लिख लेगा,

(ख) मतपत्रों की जांच करेगा और उनमें से ऐसे मतपत्रों को जो उसकी राय में वैध हो, ऐसे मतपत्रों से जो उसकी राय में अवैध हो, अलग कर देगा और उन पर वह शब्द 'अस्वीकृत' तथा इस प्रकार अस्वीकृत करने का कारण लिख देगा।

(3) किसी मतपत्र को अवैध के रूप में अस्वीकृत कर दिया जायेगा यदि–

(क) कोई मत अंकित न किया गया अथवा

(ख) चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मत अंकित किया गया हो।

परिणाम की घोषणा

26–(1) मतगणना पूरी हो जाने के पश्चात मतदान अधिकारी मतों की अधिकतम संख्या प्राप्त करने वाले निर्वाचित होने के लिये अपेक्षित उम्मीदवारों की संख्या को विधिवत् निर्वाचित घोषित करेगा और किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मतों की समानता होने पर और मतों में एक मत जोड़ दिये जाने से उम्मीदवारों में कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाने के लिये हकदार हो जाये, तो मतदान अधिकारी उन उम्मीदवारों के बीच पर्ची डालकर तत्काल विनिश्चय करेगा और ऐसी कार्यवाही करेगा, मानो जिस उम्मीदवार के नाम पर्ची निकले, उसे अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ हो।

(2) मतदान अधिकारी यथासम्भव शीघ्र राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य योजना आयोग, सचिव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और सम्बन्धित नगर पालिका के यथास्थिति मुख्य नगर अधिकारी अथवा कार्यपालक अधिकारी को चुनाव के परिणाम की सूचना देगा।

(3) मतदान अधिकारी चुनाव से सम्बन्धित समस्त कागजात सचिव को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु भेज देगा जो उसे उस समय तक रखेगा जैसा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये।

आपातकाल में तिथियों में परिवर्तन

27— इस नियमावली में अन्यत्र किसी बात के होने पर भी राज्य निर्वाचन आयोग किसी आपातकाल अथवा अपरिहार्य कारणों से नियम—7 के अधीन अधिसूचित किसी भी दिनांक में परिवर्तन कर सकता है। पूर्वोक्त अधिसूचित दिनांक अथवा दिनांकों को बढ़ाया या परिवर्तित उस दशा में भी किया जा सकता है, जबकि पूर्व निर्धारित अथवा बीत चुका हो।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

28—(1) यदि किसी निर्वाचित सदस्य का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र अथवा अन्य कारण से रिक्त होता है तो रिक्ति को इस निमयावली के अधीन उपबन्धित रीति से उसके शेष पदावधि के लिए भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति की सूचना समिति के सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को यथाशक्य शीघ्र दी जायेगी।

(2) उपरोक्त उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी स्थान की रिक्ति को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सूचना प्राप्ति के छः सप्ताह के अन्दर भरा जायेगा।

चुनाव कब पूरा होगा

29— जिला पंचायत अथवा जिले की नगर पालिकाओं, जैसी भी स्थिति हो, के सदस्यों के निर्वाचन के 6 सप्ताह के भीतर सदस्यों का चुनाव कार्य पूरा हो जायेगा:

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली के लागू होने के 8 सप्ताह के अन्दर सदस्यों के प्रथम चुनाव की कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

अध्याय—तीन

जिला योजना

जिला योजना को प्रस्तुत किया

30—(1) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समिति द्वारा जिला योजनाओं को अंतिम रूप देते हुए अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(2) समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान की गयी जिला योजना की 5 प्रतियॉं राज्य सरकार को ऐसे दिनांक को प्रस्तुत की जायेगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अवधारित किया जाये।

(3) जिला योजना के सम्बन्धित अंश को राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, विभागाध्यक्षों और जिला स्तर अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) जिला योजना में योजनावार वित्तीय विवरण, योजनावार भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण, योजना के सम्बन्ध में विवरण, नये कार्यो एवं सुविधाओं हेतु स्थल चयन का विवरण, भवन निर्माण हेतु स्थल चयन, निर्माण एजेन्सी का विवरण, उपकरणों तथा मशीनों से संबंधित विवरण और अन्य सूचनायें सम्मिलित होंगी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

अध्याय–चार

विशेषज्ञ

आमंत्रित किये जाने वाले विशेषज्ञों के सम्बन्ध में निबन्धन और शर्ते

31–(1) समिति अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु केवल एक क्षेत्र के एक गैरसरकारी विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी ऐसा सदस्य एक वर्ष में 2 बार से अधिक नहीं बुलाया जायेगा।

(3) ऐसे गैर सरकारी सदस्य जिन्हें समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाता है, वह अपने निवास स्थान से बैठक के स्थल तक यात्रा भता शासन के निम्नवत ग्रेड के श्रेणी–क के अधिकारियों को यथा अनुमन्य दैनिक भत्ता के हकदार होगें।

(4) उप नियम (2) के अधीन यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्तों से संबंधित प्रत्येक बिल सचिव को प्रस्तुत किया जायेगा जो बिल में दावा किये गये धनराशि की सत्यता अथवा अनुमन्यता के संबंध में अपना समाधान करने के पश्चात उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा और समिति के संयुक्त सचिव को भुगतान के लिए भेज देगा।

(5) समिति की बैठक में आमंत्रित किया गया सरकारी विशेषज्ञ यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य भत्ते, यदि काई हो, को अपने संगठन जिससे वह वह बुलाया गया है, में अनुमन्य दरों पर अपने संगठन से प्राप्त करेगा।

निर्वाचन

32– इस नियमावली के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

आज्ञा से,
वी0वेंकटाचलम्,
प्रमुख सचिव, नियोजन।

अनुसूची

नियम–3(1) देखे।

क्र0सं0	जिले का नाम	अधिनियम की धारा–4 की उप धारा (2) के अधीन सदस्यों की संख्या	अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (4) के खण्ड (क), (ख), (घ), में सदस्यों की संख्या	अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (4) के खण्ड (ङ) में सदस्यों की संख्या	अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (4) में सदस्यों की संख्या	समिति के कुल सदस्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	ठलाहाबाद	32	3	5	8	40
2	कानपुर नगर	32	3	5	8	40
3	जौनपुर	32	3	5	8	40
4	आजमगढ़	32	3	5	8	40
5	गोरखपुर	32	3	5	8	40
6	सीतापुर	32	3	5	8	40
7	मुजफ्फरनगर	32	3	5	8	40
8	बरेली	32	3	5	8	40
9	मुरादाबाद	32	3	5	8	40
10	लखनऊ	32	3	5	8	40
11	आगरा	32	3	5	8	40
12	हरदोई	32	3	5	8	40
13	सुल्तानपुर	32	3	5	8	40
14	वाराणसी	32	3	5	8	40
15	बुलन्दशहर	28	3	4	7	35
16	बिजनौर	28	3	4	7	35
17	बदायूं	28	3	4	7	35
18	खीरी	28	3	4	7	35
19	मेरठ	28	3	4	7	35

20	गाजीपुर	28	3	4	7	35
21	रायबरेली	28	3	4	7	35
22	अलीगढ़	28	3	4	7	35
23	सहारनपुर	28	3	4	7	35
24	बलिया	28	3	4	7	35
25	गाजियाबाद	28	3	4	7	35
26	एटा	28	3	4	7	35
27	कुशीनगर	28	3	4	7	35
28	प्रतापगढ़	28	3	4	7	35
29	देवरिया	28	3	4	7	35
30	गोण्डा	28	3	4	7	35
31	उन्नाव	28	3	4	7	35
32	बाराबंकी	28	3	4	7	35
33	शाहजहांपुर	24	3	3	6	30
34	फतेहपुर	24	3	3	6	30
35	बहराइच	24	3	3	6	30
36	बस्ती	24	3	3	6	30
37	सिद्धार्थनगर	24	3	3	6	30
38	महराजगंज	24	3	3	6	30
39	फैजाबाद	24	3	3	6	30
40	मिर्जापुर	24	3	3	6	30
41	मथुरा	24	3	3	6	30
42	अम्बेडकरनगर	24	3	3	6	30
43	फिरोजाबाद	24	3	3	6	30
44	रामपुर	24	3	3	6	30
45	मऊ	20	3	2	5	25
46	झांसी	20	3	2	5	25
47	बलरामपुर	20	3	2	5	25
48	ज्योतिबाफूले नगर	20	3	2	5	25
49	मैनपुरी	20	3	2	5	25
50	कानपुर देहात	20	3	2	5	25
51	फर्रूखाबाद	20	3	2	5	25

52	पीलीभीत	20	3	2	5	25
53	चन्दौली	20	3	2	5	25
54	हाथरस	20	3	2	5	25
55	बांदा	20	3	2	5	25
56	जालौन	20	3	2	5	25
57	कौशाम्बी	20	3	2	5	25
58	कन्नौज	20	3	2	5	25
59	इटावा	20	3	2	5	25
60	संतरविदास नगर–भदोही	20	3	2	5	25
61	सोनभद्र	20	3	2	5	25
62	बागपत	20	3	2	5	25
63	औरैया	20	3	2	5	25
64	स्त कबीर नगर	16	3	1	4	20
65	श्रावस्ती	16	3	1	4	20
66	हमीरपुर	16	3	1	4	20
67	गौतमबुद्धनगर	16	3	1	4	20
68	ललितपुर	16	3	1	4	20
69	चित्रकूट	12	3	—	3	15
70	महोबा	12	3	—	3	15